LATEST EDITION

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RPSC

राजस्थान

1st GRADE

स्कूल व्याख्याता (PAPER-1)

[भाग -4] भारतीय राजव्यवस्था + करंट अफेयर्स

HANDWRITTEN NOTES

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

1ST GRADE

स्कूल व्याख्याता

PAPER – 1

भाग –५ भारतीय राजव्यवस्था + करंट अफेयर्स

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान I^st^ Grade (स्कूल व्याख्याता)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**राजस्थान I^st^ Grade (स्कूल व्याख्याता)**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/gjvgqe

Online Order करें - https://shorturl.at/CDPX4

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2023-24)

भारतीय संविधान + करंट अफेयर्स

1. संविधान सभा 1
2. उद्देशिका (प्रस्तावना) 4
3. संविधान की प्रमुख विशेषताएँ 7
4. मौलिक अधिकार 9
5. नीति निदेशक तत्त्व एवं मूल कर्त्तव्य 20
6. निर्वाचन आयोग 25
7. राष्ट्रपति 28
8. प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद 49
9. भारतीय संसद 55
10. सर्वोच्च न्यायालय 67
11. नीति आयोग 74
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग 76
13. केन्द्रीय सूचना आयोग 81
14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 86
15. लोक सेवा आयोग 87

- राजस्थान करंट अफेयर्स 93
- जनगणना (2011)
- विभिन्न योजनायें
- पुस्तकें एवं लेखक
- खेल एवं पुरुस्कार
- भारत एवं विश्व, विविध इत्यादि

भारतीय संविधान

अध्याय - I

संविधान सभा

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है।
- क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया ।

क्रिप्स मिशन

- लार्ड सर पैथिक लारेंस (अध्यक्ष)
- ए० वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स

- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी । इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था । यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम्स, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार किया जाना था।
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था ।

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी ।

उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए । इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली । देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम,सिख, पारसी,आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएं भी थी । महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे ।

उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई । मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई । सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई

अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन पश्चात ।। दिसंबर ।946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थाई अध्यक्ष बनाया गया, जो 22 जनवरी ।947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

· भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए।

· भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।

· इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।

· भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।

· अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षॉपाय किए जाएंगे।

· देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।

· भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओ व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष	-	सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष	-	डा० राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	-	डा. एच. सी मुखर्जी, वी०टी० कृष्णामाचारी

❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना।
- 2वर्ष ।। माह 18 दिन में कुल ।। बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	-	प. जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	-	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	-	सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति	-	डॉ. बी. आर. अंबेडकर

मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यको एवं जनजातियो तथा बहिष्कृत क्षेत्रो के लिए सलाहकार समिति - सरदार पटेल

प्रक्रिया नियम समिति	-	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	-	जवाहरलाल नेहरु
संचालन समिति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति

अंबेडकर (अध्यक्ष)

एन गोपालस्वामी आयंगार

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

डॉ. के.एम मुंशी

सैयद मोहम्मद सादुल्ला

एन. माधव राव (बी. एल. मिल की जगह)

टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- 26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू (163)
2. मुस्लिम (80)
3. अनुसूचित जाति (31)
4. भारतीय ईसाई (6)
5. पिछड़ी जनजातियां (6)
6. सिख (4)
7. एन्ग्लो इंडियन (3)
8. पारसी (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास (49)

बॉम्बे (21)

पश्चिम बंगाल (19)

संयुक्त प्रांत (55)

पूर्वी पंजाब (12)

बिहार (36)

मध्य प्रांत एवं बरार (17)

असम (8)

उड़ीसा (9)

दिल्ली (1)

- संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया ।
- सर वी० एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

संविधान निर्माण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति

एच. वी. आर अय्यंगार (सचिव)

एल.एन. मुखर्जी (चीफ ड्राफ्टमैन)

प्रेम बिहारी नारायण (सुलेखक)

मंदलाल बोस और विउहर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण)

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 9

भारतीय संसद

संघीय विधानमंडल (संसद)

'संसद' शब्द अंग्रेजी के 'पार्लियामेंट' का हिन्दी रूपान्तर है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'Parler' (जिसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना) और लैटिन शब्द 'Parliamentum' से हुई है। लैटिन भाषा-भाषी लोग इसे भोजन के बाद की जाने वाली वार्ताओं के लिए प्रयोग करते थे। यह वार्ता पादरी लोग अपने-अपने पूजा गृहों में करते थे और इन वार्ताओं को 13वीं सदी की एकलवादी सरकारों ने 'गरिमाविहीन' कहकर निंदा की थी। मैथ्यू पेरिस ऑफ सेन्ट अल्बान्स, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने 1239 और पुनः 1249 ई. में 'Parliament' शब्द का पादरियों, अर्लो, और लार्डों की महान परिषद के लिए प्रयोग किया था। तब से यह शब्द विभिन्न मुद्दों एवं समसामयिक विषयों पर बातचीत करने का मंच सुलभ कराने वाली सभाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा।

भारत की संघात्मक व्यवस्था में केन्द्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं। एक विचारधारा और जनता की प्रतिनिधिक संस्था के रूप में संसद युगों से उन सिद्धांतों की चिरस्थायी स्मारक रही है जिनका हम नैतिक और राजनीतिक रूप से सदैव समर्थन करते रहे हैं। जब तक संसद जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति तथा उसे पूरा करने वाला निकाय के रूप में कार्य करती रहेगी, तब तक यह देश में अशांति, असंतोष एवं अराजकता को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम बनी रहेगी। संभवतः इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने कहा था कि, 'संसदीय सरकार के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा।'

भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसी प्रकार लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण उसमें चुनकर आने वाले सदस्यों की तुलनात्मक योग्यता है। परम्परागत रूप में ऐसा माना जाता है कि लोक सभा में जनता द्वारा चुनकर ऐसे लोग आते हैं जो लोकप्रिय तो हाते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे अत्यंत योग्य एवं विद्वान ही हों, इसमें ऐसे लोग भी प्रायः आते रहे हैं जिनके पास अत्यंत मामूली किताबी ज्ञान भी न रहा हो, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए लोग करते हैं, अतः उसके सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अधिक योग्य तथा जानकार होंगे, इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।

विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और यहां से पारित हो जाने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। चूंकि अधिकांश विध 'यक पहले लोकसभा में आते हैं और बाद में वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अतः विधयेयकों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता हैं।

प्रथम और द्वितीय सदन कहने का एक आधार और भी है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसलिए भी लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।

अनु. 79 में राष्ट्रपति को संसद का अनिवार्य अंग बताया गया है क्योंकि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका स्थगन कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। कोई भी विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही 'विधि' के रूप धारण करता है। संसद से पारित हुए विधेयकों का तबतक कोई अर्थ नहीं है जबतक कि, राष्ट्रपति के उसपर अपनी अनुमति न दे दी हो।

लोकसभा

प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था। लोकसभा के गठन के सम्बन्ध में संविधान के दो अनच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है । इसे 'लोकप्रिय सदन' भी कहा जाता है क्योंकि, इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं । लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं । लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20

सदस्य चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं । लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 से इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सन 2026 तक बनी रहेगी।
- परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है । न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था।
- लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो ।
3. वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो)
4. वह पागल / दिवालिया न हो ।

- नवगठित लोकसभा अपने अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है । लोकसभा - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, किन्तु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा।
- लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती।
- लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होता है।
- लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है।
- क्योंकि लोकसभा के दो बैठकों के बीच का समयान्तराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।
  - आपात उद्घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है।

अधिवेशन

- लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए
- लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अन्तिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अन्तराल 6 माह से अधिक का तब हो सकता है, जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए।
  - अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा को आहुत
  - करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है।

विशेष अधिवेशन

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है। जब लोकसभा के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में कम से कम 110 सदस्य राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखित सूचना दें या जब अधिवेशन चल रहा हो, तब लोकसभा को इस आशय की लिखित सूचना दें। ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथि के 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। ऐसी सूचना पर राष्ट्रपति या लोकसभाध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हैं।

लोकसभा अध्यक्ष - लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है -

- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है।
- लोकसभाध्यक्ष लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- लोकसभाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है।

- कार्यकारी अध्यक्ष जो लोकसभा में सबसे अधिक उम्र का सदस्य होता है।
- आगामी लोकसभा चुनाव के गठन के बाद उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभाध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है।
- लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
- लोकसभाध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियाँ लोकसभा के सम्बन्ध में काफ़ी अधिक है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है-

राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या

1.

उत्तर प्रदेश	80	महाराष्ट्र	48
पश्चिम बंगाल	42	बिहार	40
तमिलनाडु	39	मध्य प्रदेश	29
कर्नाटक	28	गुजरात	26
राजस्थान	25	आंध्र प्रदेश	25
ओडिशा	21	केरल	20
तेलंगाना	17	असम	14
झारखण्ड	14	पंजाब	13
छत्तीसगढ़	11	हरियाणा	10
जम्मू / कश्मीर	6	उत्तराखण्ड	5
हिमाचल प्रदेश	4	आंध्रप्रदेश	2
गोवा	2	मणिपुर	2
मेघालय	2	त्रिपुरा	2
मिजोरम	1	नागालैंड	1
सिक्किम	1		

केन्द्रशासित प्रदेशलोकसभा सदस्यों की संख्या

1. दिल्ली 7
2. अंडमान निकोबार 1
3. चण्डीगढ़ 1
4. दादरा / नागर हवेली 1
5. दमन एवं दीव 1
6. लक्षद्वीप 1
7. पुदुचेरी 1

राज्यसभा

संसद के दो सदन हैं - लोक सभा और राज्यसभा । राज्यसभा संसद का उच्च और द्वितीय सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ।

और इसके सदस्य विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। यह एक स्थाई सदन है और कभी भंग नहीं होता, किन्तु इसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद स्थान खाली कर देते हैं, जिनकी पूर्ति नए सदस्यों से होती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

राज्यसभा में अधिक-से-अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें 238 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला सामनिक सेवा इत्यादि का विशेष ज्ञान होता है।

राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 में , राज्यों से 233 तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं।

सांसदों के व्यक्तिगत आचरण पर आरोप नहीं किया जा सकता। (इसी आधार पर आर.के. करंजिया को दण्डित किया गया था)

- सत्र के 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्च्यात दीवानी मसलो पर सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।
- सत्र के दौरान आपराधिक मसलो में भी स्पीकर की अनुमति के बगैर सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।

कोरम – किसी भी सदन की बैठक उस स्थिति में संचालित अनु. 100 (iii) की जा सकती हैं, जब सदन की कुल संदस्य संख्या का 10% उपस्थित हों। यही कोरम हैं।

विपक्ष का नेता

प्रत्येक सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को जिसे कम से कम 10% सीटे प्राप्त हों, विपक्ष का नेता घोषित किया जाता हैं ।

- 1977 से विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था ।
- 1966 में सर्वप्रथम संगठन कांग्रेस के राम सुमद्र सिंह को विपक्ष का नेता घोषित किया था।
- 1977 में लोकसभा में y-B-Chavan तथा राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी को विपक्ष का नेता
- घोषित किया गया।

संचेतक/Whip- प्रत्येक दल, सम्बन्धित सदन में अपने दो पदाधिकारी की घोषणा करता हैं

(1) संसदीय दल का नेता

(2) संचेतक (Whip)

- संचेतक का मुख्य कार्य अपने दल में अनुशासन बनाये रखना हैं। दल-बदल विरोधी कानून उसी निर्देशो पर आधारित होती हैं।
- संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अवकाश हो सकता हैं।
- संसद की वर्ष में 90 दिन बैठक होनी चाहिए ।

भारत की लोकसभायें

1. (1952-57)

"इसमें कई क्षेत्रो से 2-2 सांसद चुने गये। नवम्बर 1951 से ही चुनाव प्रारंभ हो कुल 500 सीटों में से 489 सिटो के लिए चुनाव हुए ।

कांग्रेस को 364 सीटे मिली, C.P.I. (16 सीटे) सबसे बड़ा विपक्षीय दल थी ।

- श्यामदास मुखर्जी ने अनेक दलों को मिलाकर एक दल बनाया।

2. (1957-62)

3. (1962-67)

1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के जे. बी. कृपलानी द्वारा रखा गया । "राम मनोहर लुहिया का चौदह आने बनाम चार आने, भाषण लोकप्रिय हुआ ।

4. (1967-70)

पहली लोकसभा जो बीच में ही भंग कर दी गई । 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था । इंद्रा गाँधी सरकार अल्प-मत में आ गयी थी। क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। साम्यवादियो के सहयोग से सरकार बचायी।

5. 1971-77 (सबसे लम्बा)

5 मार्च 1971 को अचानक चुनाव करा दिये गये। कांग्रेस – आर. को 2/3 बहुमत मिला। 1975 में आपातकाल लागू किया गया ।

सर्वाधिक 29 अध्यादेश इसी वर्ष जारी किये गए । 42वे संविधान – संशोधन द्वारा लोकसभा का चुनाव । वर्ष बढ़ा दिया गया था । आपातकाल के कारण इसमें । वर्ष की और वृद्धि कर दी गई । यह लोकसभा आपातकाल के नाम से जानी जाती हैं । इसी समय विपक्ष के अधिकांश सांसद जेल में थे ।

6. 1977-79

जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके घटक थे - संघठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, लोकदल, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और सोसलिस्ट पार्टी

- पहली बार किसी गैर-कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला ।

- डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया गया ।

7. 1980-84

इंद्रा-गाँधी 2/3 बहुमत से सत्ता में आयी। 31 Oct 1984 को उनकी हत्या हो गयी। हत्या के बाद राजीव गाँधी को 1984 में प्रधानमंत्री बनाया गया।

8. 1984-89

राजीव गाँधी सरकार (कांग्रेस) को 415 सीटें मिली | जो अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था | सबसे बड़ा विपक्षी दल तेलगू देशम था।

1989 में विपक्ष के 101 सांसदों ने सामूहिक रूप से त्याग-पत्र दिया ।

9. 1989-91

त्रिशंकु-लोकसभा का दौर प्रारम्भ हुआ । जिसमें किसी भी दल या पार्टी को एक भी बहुमत नहीं मिला। विश्वास मत की परम्परा प्रारम्भ हुयी।

- गठबंधन सरकारों का दौर प्रारम्भ हुआ। इसे ही संक्रमण-कालीन राजनीति कहा जाता है।

10. 1991-96

किसी भी दल को बहुमत नही मिला, परन्तु लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया । सदन के भीतर दल-बदल जैसी घटनाये हुयी ।

11. 1966-98

लोकसभा बीच में ही भंग कर दी गई । तीन प्रधानमंत्रीयों ने कारभार सम्भाला ।

12. 1998-99 (सबसे छोटी) "कार्यकाल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा हैं । इसी लोकसभा में । वोट प्राप्त करने में सरकार विश्वास मत पर असफल रही।

13. 1999-2004

1999 चुनाव में NDA को पुनः बहुमत मिला, परन्तु 4 वर्ष 4 माह के बाद ही लोकसभा को भंग कर दिया गया।

14. 2004-2009

किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, परन्तु कांग्रेस के नेतृत्व में U.P.A का निर्माण किया गया।

15. 2009-14- U.P.A को पूर्ण बहुमत मिला।

16. 2014- अबतक - 1884 के बाद पहली बार किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला है।

संसद की कार्यवाही

संसद का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है। संसद की कार्यवाही को 3 भागों में बाटा जा सकता है।

(1) प्रश्नकाल – (11-12 बजे)

(2) शून्यकाल (12-1 बजे)

(3) मुख्य कार्यवाही (2-6 बजे)

(1) प्रश्नकाल – प्रश्नकाल 11 से 12 बजे के मध्य आयोजित किया जाता हैं । इसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 10-20 दिन के मध्य दिया जाता है।

प्रश्न दो प्रकार के होते हैं।

i. तारांकित प्रश्न
ii. अतारांकित प्रश्न

i. तारांकित प्रश्न - तारांकित प्रश्नो के उत्तर मोखिक रूप में भी दिया जाता हैं । तारांकित प्रश्नो के साथ पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ।

। दिन में । सदस्य ऐसा । प्रश्न ही पूछ सकता हैं ।

तारांकित प्रश्नो की । दिन में अधिकतम संख्या 20 होती है।

ii. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न के उत्तर सिर्फ लिखित रूप में दिए जाते हैं ।

एक सदस्य एक दिन में ऐसे 5 प्रश्न पूछ सकता हैं, ऐसे प्रश्नो के एक दिन में अधिकतम संख्या 230 होती हैं ।

प्रश्नकाल के द्वारा प्रशासन पर संसद का नियंत्रण बना रहता हैं ।

(2) शून्यकाल यह संसदीय व्यवस्था को भारत की देन हैं 1963 से इसे प्रारम्भ किया गया। इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर सांसदों द्वारा विचार व्यक्त किया जाता है।

गया था। मिशन का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफार्म तैयार करना है जिससे उन्हें स्थायी आजीविका के माध्यम से अपनी घरेलू आय में वृद्धि करने व वित्तीय सेवाओं में बेहतर पहुंच के लिए सक्षम बनाना है।

मिटिगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (Mpower)

- मिटिगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (Mpower) IFAD द्वारा समर्थित गरीबी मिटाने की पहल है।

उद्यमिता और स्व-रोजगार

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (YUPY)

युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी इस योजना में कुछ संशोधन किया गया है ताकि इसे अधिक व्यापक बनाया जा सके। अब, 45 साल की उम्र तक के उद्यमी और आईटीआई / डिप्लोमा / स्नातक की योग्यता वाले, इस योजना के तहत नियमअनुसार '500 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

"भामाशाह रोज़गार सृजन योजना" -पंजीकृत बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति युवाओं, अनपढ़ और शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करके स्व रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं।

योग्यता:

- 18 से 50 साल के आयु वर्ग के सभी महिलाएं और पुरुष जिनके परिवार की आय 6 लाख से ज्यादा नहीं है और राजस्थान के मूल निवासी हैं इस योजना क लिए योग्य है।

मुख्य विशेषताएं:

- भामाशाह रोजगार सृजन योजना में बेरोजगार युवाओं को 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- इच्छुक नागरिक राज्य सरकार के स्वयं सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
- सेवाओं और व्यापार के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 10 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (RSLDC)

- राजस्थान में कौशल और आजीविका विकास निगम को 2012 में निगम के रूप में स्थापित किया गया।
- RSLDC राजस्थान का राज्य कौशल मिशन है और राज्य में सभी कौशल विकास मसलों को RSLDC के जरिए निष्पादित किया जाता है।
- RSLDC का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना है।

RSLDC की प्रमुख योजनाएं

रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम - ELSTP (मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना):

- ESLTP को रोजगार के साथ कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था।
- इस कार्यक्रम में, एक प्रशिक्षण साझेदार को हर बैच की न्यूनतम 50 प्रतिशत नियुक्तियां सुनिश्चित करना है।
- चालू वित्त वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 23,276 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और वर्तमान में 10,546 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP):

- यह चयनित ITI, ITC, KVK, DCTC, RSETI, NGO और पंजीकृत स्वामित्व / भागीदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / सोसाइटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए RMOL का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और आत्म-रोजगार आधारित आजीविका को सक्षम करना है।
- इस योजना की मुख्य विशेषता महिलाओं, युवाओं, जेल कैदियों और विकलांग व्यक्तियों (PSA) की लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

के माध्यम से आजीविका में वृद्धि करना है। 2015-16 के दौरान 2965 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और वर्तमान में प्रशिक्षण के तहत 1,781 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY):

- इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को कौशल और मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी गरीबी को कम करना है।
- राजस्थान एक अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना है जिसका लक्ष्य एक लाख BPL युवाओं को प्रशिक्षित करना है।
- यह योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी।वर्तमान में, 36 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) ने राज्य भर में 120 कौशल विकास केंद्र (SDC) स्थापित कर दिए हैं।
- 2015-16 के दौरान 18,909 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 5,712 लाभार्थियों को इस योजना में प्रशिक्षण मिल रहा है।

कौशल विकास पहल योजना (SDIS):

रोजगार और प्रशिक्षण (DGE&T) के महानिदेशालय के SDIS को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी, 2014 में राजस्थान के कौशल विकास पहल समाज (RSDIS) का पुनर्गठन किया है।

यह IT। और निजी प्रशिक्षण भागीदारों / संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) स्थापित करके किया जाता है।

दिसंबर, 2015 तक 2,274 युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

नारायण मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल(जयपुर), मेडिकल और नर्सिंग सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है और इस योजना के तहत कई और संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

शिक्षा पर योजनाएं

राज्य और केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं। इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं:

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

- यह भारत में प्राथमिक शिक्षा पर चल रहे कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी ढांचे और नामांकन में काफी सुधार हुआ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से कुछ कार्यक्रमों जैसे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, शारदे गर्ल्स हॉस्टल, सिविल वर्क, छात्रवृत्ति, नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण, सरकारी विद्यालयों में 8 वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नि:शुल्क लेप-टॉप वितरण, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

'साक्षर भारत अभियान'

- प्रौढ़ शिक्षा के लिए, केंद्र प्रायोजित योजना 'साक्षर भारत अभियान' 8 सितंबर 2009 से शुरू की गई है।
- साक्षर भारत कार्यक्रम कोटा और प्रतापगढ़ जिलों को छोड़कर 31 जिले को कवर कर रहा है। इसलिए, कोटा और प्रतापगढ़ जिलों की अशिक्षित महिलाओं के लिए विशेष साक्षरता और व्यावसायिक शिविर आयोजित किए जाते हैं।

उत्कर्ष परियोजना

सरकारी स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी और प्रश्नोत्तरी आधारित अधिग्रहण प्रणाली के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, एचडीएफसी बैंक की मदद से मूनी फाउंडेशन जयपुर और शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा प्रोजेक्ट उत्कृष्टता राज्य के 9 जिलों झालावाड़, बारां , जोधपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर , हनुमानगढ़, पाली, अजमेर और जयपुर के 1400 से अधिक स्कूलों में शुरू की गई है। इससे 1 लाख से अधिक छात्रों को फायदा होगा।

उत्सव भोज

यह राजस्थान सरकार के मिड डे मील (MDM) योजना का विस्तार है। "उत्सव भोज" योजना के अंतर्गत दिन के भोजन में, कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अवसरों जैसे जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ आदि पर पूर्ण भोजन, मिठाई, कच्चा माल, उपकरण और बर्तन आदि प्रदान कर सकता है।

विविध

- **पुस्तक एवं लेखक**

क्र.स.	पुस्तक	लेखक
1.	रामायण	वाल्मीकि
2.	महाभारत	वेदव्यास
3.	अष्टाध्यायी	पाणिनी
4.	अर्थशास्त्र	कौटिल्य
5.	बुद्धचरित	अश्वघोष
6.	सौन्दरानन्द	अश्वघोष
7.	मुद्राराक्षस	विशाखदत्त
8.	देवीचन्द्रगुप्तम्	विशाखदत्त
9.	महाभाष्य	पतंजलि
10.	ऋतुसंहार	कालिदास
11.	रघुवंशम्	कालिदास
12.	राजतरंगिणी	कल्हण
13.	विक्रमांकदेव चरित	विल्हण
14.	विक्रमोर्वशीयम्	कालिदास
15.	कुमारसम्भवम्	कालिदास
16.	मालविकाग्निमित्रम्	कालिदास
17.	अभिज्ञानशाकुन्तलम	कालिदास
18.	स्वप्नवासवदत्ता	भास
19.	हर्षचरित	बाणभट्ट
20.	रत्नावली	हर्षवर्धन
21.	कादम्बरी	बाणभट्ट
22.	प्रियदर्शिका	हर्षवर्धन
23.	नागानन्द	हर्षवर्धन
24.	मृच्छकटीकम	शूद्रक
25.	पृथ्वीराज रासो	चन्द्रबरदाई
26.	कर्पूरमंजरी	राजशेखर
27.	इण्डिका	मेगास्थनीज
28.	पंचतंत्र	विष्णु शर्मा
29.	प्रबंध कोष	राजशेखर
30.	रसमाला	सोमेश्वर
31.	किरातार्जुनीयम	भवभूति
32.	न्याय भाष्य	वात्स्यायन
33.	कामसूत्र	वात्स्यायन
34.	मालती माधव	भवभूति
35.	कीर्ति कौमुदी	सोमेश्वर
36.	उत्तर रामचरित	भवभूति
37.	कोकशास्त्र	कोका पंडित
38.	नीतिसार	कमण्डक
39.	काव्य मीमांसा	राजशेखर
40.	न्याय मंजरी	जयन्त
41.	श्रृंगार शतक	भर्तृहरि
42.	काव्य प्रकाश	मम्मट
43.	रसरत्नाकर	नागार्जुन
44.	अमरकोष	अमर सिंह
45.	शिशुपाल वध	माघ
46.	चरक सहिंता	चरक
47.	सतसई	हाला
48.	नाट्यशास्त्र	भरत
49.	मिलिन्दपन्हो	नागसेन
50.	मिताक्षरा	विज्ञानेश्वर
51.	सूर्य सिद्धांत	आर्यभट्ट
52.	सुश्रुत सहिंता	सुश्रुत
53.	माध्यमिका सूत्र	नागार्जुन
54.	गीत संग्रह	यमुनाचार्य
55.	इलाहाबाद स्तम्भ प्रशस्ति	हरिषेण
56.	अग्नि परीक्षा	आचार्य तुलसी
57.	आदि ग्रंथ	गुरु अर्जुनदेव
58.	भोर का तारा	जगदीश चन्द्र माथुर
59.	मुक्ति बोध	जैनेंद्र
60.	तुगलकनामा	अमीर खुसरो
61.	हुमायूँनामा	गुलबदन बेगम
62.	तारीख-ए -यामिनी	उतबी
63.	तहकीक हिन्द	अलबरुनी
64.	तारीख-ए - मुबारकशाही	अहमद सरहिन्दी
65.	किताब-उल-रहला	इब्नबतूता
66.	तारीख-ए-फिरोजशाही	जियाउद्दीन बरनी
67.	तारीख-ए-अलाई	अमीर खुसरो
68.	आवारा मसीहा	विष्णु प्रभाकर
69.	अकबरनामा	अबुल फजल
70.	तुजुक-ए-बाबरी	बाबर
71.	शाहजहाँनामा	इनायत खान
72.	आइन-ए-अकबरी	अबुल फजल

73.	आलमगीरनामा	मिर्जा मुहम्मद काजिम
74.	पादशाहनामा	अमिनई कञ्चिनी
75.	मुंतखब-उत-तवारीख	बदायूँनी
76.	द लाइफ डिवाइन	अरविंद घोष
77.	इंडिया विंस फ्रीडम	मौलाना अबुल कलाम आजाद
78.	पॉवर्टी एण्ड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया	दादाभाई नौरोजी
79.	माई ट्रुथ	इंदिरा गाँधी
80.	द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ	मोहन दास करमचंद गाँधी
81.	माई अर्ली लाइफ	मोहन दास करमचंद गाँधी
82.	ऑटोबायोग्राफी	जवाहर लाल नेहरू
83.	द डिस्कवरी ऑफ इंडिया	जवाहर लाल नेहरू
84.	माई स्टोरी	कमला दास
85.	अनहैप्पी इंडिया	लाला लाजपत राय
86.	प्रिजन डायरी	जय प्रकाश नारायण
87.	ग्लिमप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री	जवाहर लाल नेहरू
88.	अनटचेबल	मुल्कराज आनंद
89.	द बिग हर्ट	मुल्कराज आनंद
90.	द रिलिजन ऑफ मैन	रवीन्द्रनाथ टैगोर
91.	इंडियन फिलॉसफी	डॉ.एस. राधाकृष्णन
92.	ईस्ट एण्ड वेस्ट इन रिलिजन	डॉ.एस.राधाकृष्णन
93.	द गोल्डन थ्रेसहोल्ड	सरोजिनी नायडू
94.	द बर्ड ऑफ टाइम	सरोजिनी नायडू
95.	द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस	वी.डी. सावरकर
96.	द इंडियन स्ट्रगल	सुभाषचन्द्र बोस
97.	आईडल्स	सुनील गावस्कर
98.	द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स	अरुन्धती राय
99.	इंडिया हाउस	कुलदीप नैयर
100.	डाउन द मेमोरी लेन	मदर टेरेसा
101.	द डेथ ऑफ ए हीरो	मुल्कराज आनंद
102.	अनटोल्ड स्टोरी	बी.एम.कौल
103.	बियोंड कश्मीर	सलमान खुर्शीद
104.	टर्निंग पॉइंट	सी. सुब्रह्मणयम
105.	माई वर्ल्ड	तबिश खैर
106.	हेड्स एण्ड टेल्स	मेनका गाँधी
107.	आई फालो द महात्मा	के.एम.मुंशी
108.	सर्कल ऑफ रिजन	अमिताभ घोष
109.	शैंडो लाइन्स	अमिताभ घोष
110.	आवर फिल्म्स	सत्यजीत रे
111.	देयर फिल्म्स	सत्यजीत रे
112.	द ग्रेट इंडियन नॉवल	शशि थरूर
113.	सिंगल वूमन	तारा पटेल
114.	द गोल्डन गेट्स	विक्रम सेठ
115.	द इन्साइडर	पी.वी.नरसिम्हा राव
116.	साकेत, व यशोधरा	मैथिलीशरण गुप्त
117.	देवदास	शरत चन्द्र चटर्जी
118.	रंगभूमि, कफन, गोदान, निर्मला	मुंशी प्रेमचन्द
119.	स्वर्णलता, प्रथम प्रतिभूति	आशापूर्णा देवी
120.	यामा	महादेवी वर्मा
121.	चित्रा, गीतांजली, गोरा, द होम एण्ड द वर्ल्ड, काबुलीवाला	रवीन्द्रनाथ टैगोर
122.	रश्मिरथी, संस्कृति के चार अध्याय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी	रामधारी सिंह दिनकर
123.	सत्यार्थ प्रकाश	स्वामी दयानन्द
124.	देवी चौधरानी, आनंद मठ	बक्किम चन्द्र चट्टोपाध्याय
125.	माय म्यूजिक माय लाइफ	रवि शंकर
126.	टू द लास्ट बुलेट	विनीता कॉम्टे
127.	सींग लाइक ए फेमिनिस्ट	निवेदिता मेनन
128.	कोरा कागज, द रेवेन्यू स्टैम्प, डेथ ऑफ ए सिटी, कागज की केनवास	अमृता प्रीतम
129.	रिटर्न टू इण्डिया	शोभा नारायण
130.	माई कंट्री माई लाइफ	लालकृष्ण आडवाणी
131.	आई फॉलो द महात्मा	के एम मुंशी

- **स्थलों / शहरों / अभियानों के परिवर्तित नाम**

पुराना नाम	परिवर्तित नाम
हबीबगंज रेलवे स्टेशन	अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन
बोगीबील पुल / कांडला बंदरगाह / दीनदयाल बंदरगाह	अटल सेतू /
नया रायपुर / साबरमती घाट	अटल नगर / अटल घाट
बुंदेलखंड एक्सप्रेस - वे / हजरगंज चौराहा	अटल पथ /अटल चौक
अगरतला हवाई अड्डा	महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा
मुगल सराय रेलवे स्टेशन	पं. दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन
बल्लभगढ़ मैट्रो स्टेशन	अमर शहीद राजा नाहर सिंह मैट्रो स्टेशन
गोरखपुर हवाई अड्डा	महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा
अहमदाबाद / शिमला / अलाहाबाद /श्यामलाल / प्रयागराज	कर्णावती
फैजाबाद / गुडगाँव / अलीगढ़ / गुरुग्राम / हरिगढ़	अयोध्या /
झारसुगुड़ा हवाई अड्डा (ओड़िशा)	वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डा
एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम	अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम
व्हीलर द्वीप	एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप
हैवलॉक द्वीप / नील द्वीप	स्वराज द्वीप / शहीद द्वीप
रॉस द्वीप	नेताजी सुभाष चन्द्रबोस द्वीप
फिरोजशाह कोटला स्टेडियम	अरुण जेटली स्टेडियम
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्र. संस्थान
भोपाल मैट्रो रेल	भोज मैट्रो
चेननी नाशरी सुरंग	डॉ. श्यामा प्रशाद मुखर्जी सुरंग
प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन	सुप्रीम कोर्ट मैट्रो स्टेशन
रेलवे सुरक्षा बल	भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
अंबाला सिटी बस स्टैंड	सुषमा स्वराज बस स्टैंड
विदेशी सेवा संस्थान	सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान
मुम्बई सेन्ट्रल स्टेशन	नाना शंकरसेठ मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टशन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	शिक्षा मंत्रालय
ग्वालियर - चम्बल	श्री अटल बिहारी
एक्सप्रेस - वे	वाजपेयी प्रोगेस - वे
मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन (उ. प्र.)	बनारस जंक्शन
मुगल म्यूजियम (आगरा)	छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम
हुबली रेलवे स्टेशन	श्री सिद्धरुधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन हुबली
नौगढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश)	सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन
सेक्टर - 50 मैट्रो स्टेशन (नोएडा उ. प्र.)	प्राइड स्टेशन
जहाजरानी मंत्रालय और जलमार्ग मंत्रालय	पत्तन, पोत परिवहन

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - ⬇ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKj14nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - https://wa.link/gjvgqe 1 web.- https://shorturl.at/CDPX4

FREE SAMPLE

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
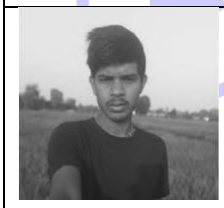	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
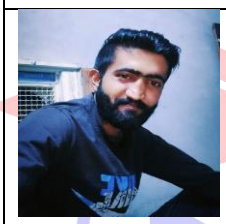	**Govinda Jangir**	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/gjvgqe

Online order करें – https://shorturl.at/CDPX4

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE